# नशीली दवाओं की चपेट में दुनिया के बीस करोड़ लोग

नई दिल्ली, 25 जून (भाषा)। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों और कठोर कदमों के बाद भी इनका दुरुपयोग और तस्करी थमने की बजाय नए रूपों में सामने आ रही है। करीब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार की नशीली दवाओं के सेवन की चपेट में आ चुके हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या गांजा और चरस आदि का सेवन करने वालों की है जो करीब 16 करोड़ 20 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है।

संयुक्त राष्ट्र के नशीले पदार्थ और अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी दुनिया भर में 26 जून 'नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और गैरकानूनी तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है। यूएनओडीसी इस मौके पर नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान का जो नारा जारी कर रहा है उसका मुख्य विषय 'क्या आपका जीवन नशीले पदार्थों से नियंत्रित होता है, आपके जीवन और आपके समुदाय में नशीले पदार्थों की कोई जगह नहीं' है। रिपोर्ट के मुताबिक यह नारा तीन साल तक चलता रहेगा। नशीले पदार्थों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 2007 में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग, 2008 में नशीले पदार्थों की खेती और उत्पादन और 2009 में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष जोर दिया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बाद भी दुनिया में नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार खूब पनप रहा है। इसका कारोबार मौजूदा समय में सालाना चार सौ अरब डालर से अधिक पहुंच गया है जो कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लगभग आठ फीसद है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम के सूत्रों के मुताबिक नशीले पदार्थों के उत्पादन और उसके अवैध कारोबार की आज सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे प्राप्त धन का आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका सहित दुनिया के सभी देश इस बात से चिंतित हैं और इसे रोकने के लिए हर प्रकार के कदम भी उठा रहे हैं लेकिन इस दिशा में सफलता हाथ नहीं लग रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न एजेंसियों के नशीली दवाओं के निर्माण और उनकी तस्करी के बारे में किए गए अध्ययन से यह बात सामने आई है कि नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले गोल्डन ट्रेंगल और गोल्डन क्रिसेंट देशों के बीच भारत के स्थित होने के कारण इसका नशीली दवाओं के आवागमन में भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। गोल्डन ट्रेंगल में बर्मा, लाओस और थाईलैंड और गोल्डन क्रिसेंट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन देशों में नशीली दवाएं तैयार की जाती हैं और उन्हें तस्करी के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को भेजा जाता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त दिल्ली का मार्ग समझा जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नशीली दवाओं की तस्करी अरब देशों से हो कर न करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इन देशों में नशीली दवाओं का दुरुपयोग और तस्करी करने वालों के लिए दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कठोर कानून हैं। यहां दोषी पाए जाने पर अभियुक्त के अंग काट दिए जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तस्कर इस तरह का कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते जो उनके लिए घातक हो। वे अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर पंजाब होते हुए नशीली दवाओं को दिल्ली लाते हैं और यहां से यूरोपीय देशों को सप्लाई करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में किए गए अध्ययनों से यह बात भी सामने आई है कि जिस हेरोइन का मूल्य यहां एक लाख रुपए प्रति किलो है यूरोपीय बाजार में उसका मूल्य एक करोड़ रुपए हो जाता है। दुनिया भर के देशों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए कड़े कानून बनाए जाने के बाद भी इसके सौदे में जबरदस्त मुनाफा होने के कारण इसके तस्कर इस लाभ को उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।

नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए जिस प्रकार से कठोर कानून बन रहे हैं और नए नए उपकरणों और मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है ठीक उसी तरह इनके तस्कर भी तस्करी करने के तरीके और माध्यम तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका ने दुनिया के जिन 23 देशों को नशीली दवाओं के उत्पादन और पारगमन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है उनमें भारत का नाम भी शामिल है।